2025 का विधेयक संख्यांक 109

[दि इंडियन इंस्टिट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का हिन्दी पाठ]

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025

भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,— 2017 का 33

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक संस्थान, अनुसूची के स्तंभ (5) में यथाउल्लिखित उसी नाम का एक निगमित निकाय होगा ।";

(ii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ की तारीख से ही, इस अधिनियम के सभी उपबंध भारतीय प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी को लागू होंगे ।"।

धारा 39 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) इस अधिनियम के अधीन भारतीय प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी के प्रथम बोर्ड का गठन हो जाने तक, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन, ऐसे बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और निर्वहन किए जाने वाले सभी कृत्य, भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ पर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाएंगी या निर्वहन किए जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त निदेश दे ।"।

अनुसूची का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम सं0 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"22.	असम	—	गुवाहाटी भारतीय प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने 1961 में दो भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) एक कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में और दूसरा अहमदाबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया था । भारत में प्रबंधन प्रशिक्षण और शिक्षा की गति बढ़ाने के लिए इन विशिष्ट संस्थानों की परिकल्पना की गई थी। ऐसे और संस्थानों की आवश्यकता बढ़ी तो बैंगलोर (1973), लखनऊ (1984), इंदौर (1996) और कोझीकोड (1997) में चार और आईआईएम स्थापित किए गए। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में, शिलांग (2008), रांची (2010), रोहतक (2010), रायपुर (2010), काशीपुर (2011), तिरुचिरापल्ली (2011) और उदयपुर (2011) में सात नए आईआईएम स्थापित किए गए। वर्ष 2015-2016 के दौरान, अमृतसर, बोधगया, जम्मू, नागपुर, संबलपुर, सिरमौर और विशाखापत्तनम में सात और आईआईएम स्थापित किए गए। इन बीस आईआईएम की स्थापना मूल रूप से संबंधित सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। इसके पश्चात्, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 33) के अधिनियमन के साथ, इन आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया, जिससे वे डिग्री प्रदान करने में समर्थ हो गए और शैक्षणिक स्वायत्तता के साथ आईआईएम के संचालन में एकरूपता आई ।

वर्ष 2023 में, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (आईआईएम अधिनियम) में संशोधन करके राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई को आईआईएम अधिनियम की अनुसूची में एक नए नाम, भारतीय प्रबंधन संस्थान, मुंबई के अधीन सम्मिलित किया गया। वर्तमान में, इक्कीस आईआईएम हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है और उनमें से प्रत्येक संस्थान आईआईएम अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

2. भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के प्रतिनिधियों ने असम राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओएस के अनुसार, भारत सरकार द्वारा एक विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) के अधीन कई विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। एसडीपी के अधीन परियोजनाओं में से एक गुवाहाटी में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में एक आईआईएम की स्थापना है ।

3. असम सरकार ने राज्य की भौगोलिक स्थिति और इसके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए, असम में एक आईआईएम की स्थापना का अनुरोध किया है। असम तीन करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले उन कुछ राज्यों में से एक है जहाँ आईआईएम नहीं है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के नवीनतम प्रकाशित परिणामों के अनुसार, असम में साढ़े पाँच लाख से अधिक छात्र उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकित हैं। असम इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के केंद्र में है। असम में एक आईआईएम की स्थापना से इस क्षेत्र की समग्र शिक्षा और विकास को बढ़ावा मिलेगा और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के महत्वपूर्ण अवसर खुलेंगे ।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विधेयक अर्थात् भारतीय प्रबंधन

संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 में, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 का संशोधन करने की मांग की गई है ।

5. भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025 की अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य विशेषताएं, निम्नानुसार हैं:—

(क) आईआईएम अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में संशोधन द्वारा यह उपबंध किया जा रहा है कि प्रत्येक संस्थान अनुसूची के स्तंभ (5) में यथाउल्लिखित नाम से एक निगमित निकाय होगा:

(ख) अधिनियम की धारा 4 में एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित की जाएगी, जो यह उपबंध करती है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ की तारीख को और से ही इस अधिनियम के सभी उपबंध भारतीय प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी पर लागू होंगे;

(ग) अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में एक नया खंड (छ) अंतःस्थापित किया जाएगा, जो यह उपबंध करता है कि, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ होने पर, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन, ऐसे बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग किए गए या निष्पादित किए जाने वाले, इस अधिनियम के अधीन भारतीय प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी का प्रथम बोर्ड गठित होने तक, सभी शक्तियां और कृत्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित निदेश करे;

(घ) भारतीय प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी को संस्थानों की सूची में सम्मिलित करने के लिए अधिनियम की अनुसूची में संशोधन द्वारा एक नया संस्थान, अर्थात् भारतीय प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी बनाया जाएगा ।

6. विधेयक का उद्देश्य उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

नई दिल्ली
12 अगस्त,2025

धर्मेन्द्र प्रधान

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2, उपबंध करता है कि भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ से ही, इस अधिनियम के सभी उपबंध भारतीय प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी को लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी को पांच वर्ष (2025-26 से 2029-30) की अवधि के लिए पांच सौ पचपन करोड़ रुपए की कोर निधि प्रदान की जाएगी । पांच वर्ष के पश्चात्, संस्थान को किसी अतिरिक्त निधि की सहायता विस्तारित नहीं की जाएगी क्योंकि ऐसी अवधि के अंत तक, भारतीय प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी स्व आंतरिक प्रोद्भवन से पर्याप्त राजस्व सृजित कर लेगा ।

3. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, विधेयक, यदि अधिनियमित हो जाता है, तो पांच वर्ष की अवधि के लिए पांच सौ पचपन करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय व्यय होगा, जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती और अनावर्ती दोनों प्रकार के व्यय अंतर्वलित होंगे ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 34 केन्द्रीय सरकार को अधिनियम में उल्लिखित कतिपय विषयों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । इस धारा को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

2. भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 35 भारतीय प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी के शासक बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों बनाने के लिए सशक्त करती है । वे विषय, जिसकी बाबत पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन विनियम बनाए जा सकेंगे ब्यौरे के विषय हैं और स्वयं विधेयक में उनके लिए उपबंध करना साध्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 33) से उद्धरण

* * * * * *

4 (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही प्रत्येक विद्यमान संस्थान अनुसूची के स्तंभ (5) में यथा उल्लिखित उसी नाम का एक निगमित निकाय होगा । संस्थानों का निगमन ।

* * * * * *

39. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी— संक्रमणकालीन उपबंध ।

* * * * * *

(च) इस अधिनियम के अधीन, जब तक राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के संबंध में प्रथम विनियम नहीं बना दिए जाते हैं, तब तक राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के नियमों और उप विधियों का, जो भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई को, आवश्यक उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, वहां तक लागू होते रहेंगे जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।

* * * * * *